न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 67/2009/अपील

पदमाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.10.2008 अनुवानी सरकार बनाम पदमाराम मु0नं0 108/2008 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री अमरसिंह सुण्डा

निर्णय **दिनांकः—18.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भारनी ने न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि अपीलांट द्वारा भूमि ख0नं0 331 रकबा 3.45 हैक्टर में से रकबा 0.08 हैक्टर चारागाह पर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर मातहत अदालत ने एकतरफा कार्यवाही कर अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर आर्थिक दण्ड के साथ तीन माह के कारावास का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी/अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, न ही अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई। इसलिये अपीलान्ट को कोई ज्ञान नहीं हुआ और इस कारण अपीलान्ट मातहत अदालत में अपना जबाव प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलान्ट का ख.नं. 331 रकबा 3.45 हैक्टर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक दवाब के कारण झूंठी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर भी प्रार्थी को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व पटवारी हल्का भारनी ने सम्बन्धित भूमि ख.नं. 331 रकबा 3.45 है0 व उसके आस पास की भूमियों का कभी भी सीमाज्ञान नहीं किया। बिना सीमाज्ञान किये यह कैसे निर्धारण किया जा सकता है कि अपीलान्ट ने 0.08 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2008 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2008 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलांट को नहीं मिला एवं एकतरफा निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई एवं अतिक्रमित स्थल के बारे में जांच तक नहीं की

गई। अपीलांट का विवादग्रस्त आराजियात पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल नहीं होने से अप्रार्थी अनुपस्थित रहां। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में ग्राम भारनी के खसरा नम्बर 331 में से 0.08 है0 किस्म चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है, परन्तु अतिक्रमण किस स्थान पर किया गया है इस सम्बंध में कोई निशानदेही अंकित नहीं की गई है एवं सीमाज्ञान किये बिना ही चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार मौके की स्थिति की जांच किए बिना ही एवं बिना सीमाज्ञान किए बिना ही बेदखल करने हेतु पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके पर अतिक्रमण के सम्बंध में सीमाज्ञान किया जाये और सीमाज्ञान उपरान्त अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार पुनः विधिवत प्रकिया अपनाकर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर